प्रेस नोट दिनांक 17.11.2021 जनपद मेरठ।

सराहनीय कार्य दिनांक 17.11.2021

थाना भावनपुर जनपद मेरठ

सर्विलांस सेल मेरठ व थाना भावनपुर की संयुक्त टीम द्वारा रेड कार्पेट रिसोर्ट दत्तावली गढ रोड मेरठ में शादी के दौरान हुई सनसनीखेज हत्या का खुलासा, अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 16/11/2021 को थाना हाजा पर वादी श्री विनोद गर्ग पुत्र स्व0 श्री कान्ति प्रसाद निवासी 182/8 जागृति विहार थाना मैडिकल जिला मेरठ की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0स0- 420/2021 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात बाबत वादी की पुत्री ,जो अपने मामा की शादी में रेड कार्पेट रिसोर्ट दत्तावली गढ रोड मेरठ में आयी हुई थी, की हत्या कर देने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया था।

उक्त घटना के यथाशीघ्र सफल अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मेरठ द्वारा जनपद स्तर से क्राइम ब्रान्च, सर्विलांस टीम व फील्ड यूनिट को मुकदमा उपरोक्त के खुलासा हेतु लगाया गया था उक्त घटना के सफल अनावरण हेतु मुकदमा उपरोक्त में रेड कार्पेट मण्डप की सीसीटीवी फुटेज व फील्ड यूनिट टीम द्वारा घटना स्थल के निरीक्षण व अन्य लोगो से पूछताछ के आधार पर ज्ञात हुआ कि शादी में करीब 02 घंटे तक मृतका और उसका मौसेरा भाई विशाल गायब रहे और आखिरी बार विशाल ही मृतका के साथ देखा गया था। मृतका के लापता होने पर परिजन व वहाँ पर मौजूद अन्य लोगो द्वारा मृतका को तलाश करने पर मृतका का शव मण्डप में बने कमरा नं0 02 के बाथरूम से मिला था। विशाल गुप्ता से परिजनों व मण्डप में मौजूद अन्य लोगो व सर्विलांस के माध्यम से शक के आधार पर पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि विशाल गुप्ता उपरोक्त मृतका का मौसेरा भाई है तथा इसका मृतका के घर पर आना जाना था। जिस कारण विशाल मृतका को पसन्द करने लगा था। दिनांक 15/11/2021 को विशाल गुप्ता व मृतका शादी में रेड कार्पेट मण्डप दत्तावली में आये हुये थे। विशाल मृतका को सैल्फी/फोटो लेने के बहाने अकेले में साथ लेकर रिजार्ट के कमरा नं0 2 में लेकर गया। वहां उसने कुछ समय मृतका से बातचीत की और जब मृतका वासरूम के लिये कमरे नं0 2 में बने बाथरूम में गयी तो विशाल गुप्ता भी मृतका के पीछे - पीछे बाथरूम में गलत काम करने की नियत से घूस गया तथा मृतका के साथ जबरदस्ती करने लगा। जब मृतका ने शौर मचाने का प्रयास किया तो विशाल गुप्ता उपरोक्त द्वारा मृतका के मुँह पर हाथ रखकर गला दबाकर हत्या

कर दी गई। हत्या करने के पश्चात विशाल गुप्ता के द्वारा मृतका के शव के साथ दुष्कर्म करने का भी प्रयास किया गया। इसके पश्चात वह शव को वही छोडकर बाहर आ गया। जब मृतका के परिजन उसको मण्डप में तलाश करने लगे तो अभियुक्त भी परिजनो के साथ ही मृतका को तलाश करने में लगा रहा जिससे की किसी को भी विशाल गुप्ता पर शक न हो। अभियुक्त विशाल गुप्ता को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नोटः सर्विलांस सेल टीम मेरठ को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000/- रूपये नकद का पुरूषकार दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

विशाल गुप्ता करीब 22 वर्ष पुत्र प्रमोद गुप्ता निवासी मुन्शीनगर, DAV स्कूल के पीछे, पिलखुवा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

आपराधिक इतिहासः

मु0अ0स0 420/2021 धारा 302/376/511 भादवि

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज मलिक
2. उ0नि0 श्री योगेन्द्र कुमार (सर्विलांस सैल)
3. उ0नि0 श्री लोकेश अग्निहोत्री (सर्विलांस सैल)
4. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सिंह
5. है0का0 928 ब्रहमजीत (सर्विलांस सैल)
6. है0का0 946 शहनवाज (सर्विलांस सैल)
7. है0का0 1003 मनोज शर्मा (सर्विलांस सैल)
8. है0का0 634 अनिल कुमार
9. का0 551 सन्तरपाल (सर्विलांस सैल)
10. का0 1157 दीपक (सर्विलांस सैल)
11. का0 244 अमित (सर्विलांस सैल)
12. का0 2844 नवीन भाटी
13. का0 2803 सुनील कुमार

MEERUT POLICE

प्रेस नोट थाना जानी जनपद मेरठ

दिनांक 17.11.21

थाना जानी पुलिस द्वारा शान्ति भंग करने पर दो लोगो को गिरफ्तार किया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मेरठ द्वारा अपराधियो की धर पकड हेतु चलाये गये अभियान व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सरधना मेरठ के निर्देशन में थाना प्रभारी थाना जानी जनपद मेरठ के नेतृत्व में थाना जानी पुलिस द्वारा आज दिनांक 17.11.21 को समय 11.30 बजे चैकिग व गस्त के दौरान अभियुक्तगण 1. नूर मौहम्मद उर्फ काला पुत्र इकलाख उर्फ लम्बू 2. सद्दाम पुत्र इकलाख उर्फ लम्बू निवासीगण जानी कला थाना जानी जनपद मेरठ को अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी मे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण का चालान अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में मा0न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नूर मौहम्मद उर्फ काला पुत्र इकलाख उर्फ लम्बू निवासी जानी कला थाना जानी जनपद मेरठ
2. सद्दाम पुत्र इकलाख उर्फ लम्बू निवासी जानी कला थाना जानी जनपद मेरठ

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1- प्रभारी निरीक्षक श्री संजय वर्मा थाना जानी जनपद मेरठ

2- उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार मलिक थाना जानी जनपद मेरठ

3- का0 1458 सुधीर कुमार थाना जानी मेरठ

MEERUT

<u>प्रेस नोट थाना जानी जनपद मेरठ</u>

<u>दिनांक 17.11.21</u>

<u>थाना जानी पुलिस द्वारा एक वारण्टी को गिरफ्तार किया गया।</u>

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मेरठ द्वारा अपराधियो की धर पकड हेतु चलाये गये अभियान व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सरधना मेरठ के निर्देशन में थाना प्रभारी थाना जानी जनपद मेरठ के नेतृत्व में थाना जानी पुलिस द्वारा वारण्टीयो की धरपकड के दौरान उ0नि0 रविन्द्र मलिक मय का0 1458 सुधीर कुमार के द्वारा आज दिनांक 17.11.21 समय 12.40 बजे अभियुक्त ईनाम पुत्र रियाजूद्दीन नि0 जानी खुर्द थाना जानी मेरठ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त अभियोग सख्या 14596/21 धारा 366,506 भादवि चालानी थाना जानी मेरठ मे मा0न्यायालय मे अनुपस्थित चल रहा है जिसके विरुद्व मा0न्यायालय द्वारा वारण्ट निर्गत किये गये थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

1. ईनाम पुत्र रियाजूद्दीन नि0 जानी खुर्द थाना जानी मेरठ

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम</u>

4- श्री संजय वर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना जानी जनपद मेरठ

5- उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार मलिक थाना जानी जनपद मेरठ

6- का0 1458 सुधीर कुमार थाना जानी मेरठ

प्रेस नोट थाना मवाना जनपद मेरठ दिनांक 17/11/2021

थाना मवाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये विवाहिता की हत्या कर शव को जला देने के आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेजा

दिनांक 16/11/2021 को ग्राम मटौरा में ससुरालीजनो द्वारा विवाहित श्रीमती लता पत्नी अंकित की हत्या कर शव को मृतका के परिजनो व बिना पुलिस को सूचना दिये अन्तिम सस्कांर कर देने के समबन्ध मे मृतका के भाई श्री ललित कुमार पुत्र स्व0 श्री तेजपाल सिंह निवासी ग्राम सुराना थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना मवाना पर मु0अ0सं0-517/2021 धारा 302/201/323/504/506 भादवि बनाम 1. अंकित (पति) 2.अंकुर(देवर) पुत्रगण सलेखचन्द 3. सलेखचन्द(ससुर) 4. मन्दरेस(सास) निवासी गण ग्राम मटौरा थाना मवाना मेरठ पंजीकृत किया गया आज दिनांक 17/11/2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं क्षेत्राधिकारी मवाना के कुशल नेतृत्व व निर्देशन में मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त मे नामित/वांछित अभियुक्त अंकित उर्फ सन्नी (मृतका का पति) पुत्र सलेखचन्द निवासी ग्राम मटौरा थाना मवाना जनपद मेरठ को किला बस स्टैन्ड कस्बा मवाना से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नामः

अंकित उर्फ सन्नी पुत्र सलेखचन्द निवासी ग्राम मटौरा थाना मवाना जनपद मेरठ उम्र करीब 28 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 विजय कुमार थाना मवाना मेरठ
2. उ0नि0 श्री तीर्थपाल सिंह थाना मवाना मेरठ
3. का0 1303 मोहित कुमार थाना मवाना मेरठ
4. का0 1168 राजकुमार थाना मवाना मेरठ

MEERUT POLICE

साईबर क्राइम सेल (क्राइम ब्रान्च) जनपद मेरठ।

दिनांक 17.11.2021 को साइबर सैल द्वारा की गयी कार्यवाही से लोगो के साथ ऑनलाइन ठगी की कुल धनराशि 35000 (पैंतीस हजार रूपये) /- रूपये आवेदक के खातों में वापस कराये गयेः-

1.आवेदक नीरज पुण्डीर निवासी कस्बा सरधना थाना-सरधना जनपद मेरठ के द्वारा प्रार्थाना पत्र दिया गया था I जिसमें आवेदक के खाते से 35000 रूप्ये की अचानक कटौती हो गयी थी I जिसमें साइबर क्राइम सैल जनपद मेरठ के द्वारा तुरन्त कार्यवाही करते हुये कुल धनराशि 35000 (पैंतीस हजार रूपये) आवेदक के खातों में वापस कराये गये I

MEERUT POLICE